न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05 / 2016
प्रविष्टि दिनांक 22.02.2016

सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र प्रेमचन्द शर्मा जाति ब्राहमण आयु 35 वर्ष निवासी घाड़ रोड दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0

.....आवेदक

बनाम

1–बद्री पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहमण आयु 70 वर्ष निवासी घाड़ रोड दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
2–भू–आवंटन सलाहकार समिति देवली तहसील देवली जिला–टोंक राज0
3– तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0

..... अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 बाबत निरस्त किये जाने आवंटन

उपस्थिति : (1) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री सीताराम विजय,अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1
(3) श्री रामप्रसाद कुमावत व श्री मजहर आलम राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 28.06.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू–आवण्टन सलाहकार समिति देवली द्वारा दिनांक 23–8–1961 को प्रतिपक्षीं संख्या–1 को आराजी ख0नं0 159 में 8 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 249 रकबा 2.06 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील देवली में आवंटन किया गया था। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई, किन्तु पत्रवली रिकार्ड / तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने का पत्र प्राप्त होने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 को भू–आवण्टन सलाहकार समिति देवली द्वारा दिनांक 23–8–1961 को आराजी ख0नं0 159 में 8 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 249 रकबा 2.06 है0 वाके ग्राम दूनी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

तहसील देवली में आवंटन किया गया है। आवंटी ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष किसी भी प्रकार से कोई तथ्य नही छिपाये गये है। आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का बदस्तूर लगातार वास्तविक रूप से कब्जा चला आ रहा है। आवटित खसरा नम्बर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। आवंटन 60 साल से भी अधिक समय पुराना है। प्रार्थी काननून हितबद्व व्यक्ति भी नही है तथा आवण्टन आदेश की नकल भी पेश नहीं की गई है। आवेदक द्वारा दिनांक 2–5–2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थी आवेदन को आगे नहीं चलाना चाहता है, तत्समय ही प्रकरण खारिज कर देना चाहिये था,किन्तु न्यायालय हाजा द्वारा उस प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अप्रार्थी बद्रीलाल भूरा का गोद लिया हुआ पुत्र है,इस सम्बन्ध में नामा0 सं0 42 निर्णय दिनांक 20–3–1964 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें भूरा की भूमि बद्री के नाम लगाई गई है जो 58 वर्ष पुराना है,जिसमें ''बद्री पिसरमुतबन्ना भूरालाल''अंकित है। एसएचओ पुलिस थाना दूनी द्वारा दिनांक 31–7–2017 को जॉच की गई थी उसमें भी बद्री के पिता का नाम भूरा माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने आवटन के समय भूमिहीन काश्तकार होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा राजकीय सेवा मे नही होने बाबत का भी उल्लेख किया है। उक्त सभी तथ्यों से साबित होता कि आवण्टन सलाहकार समिति ने आवंटन नियमानुसार किया गया है जो यथावत रखा जाकर आवेदक का आवेदन पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है। इसके अतिरिक्त अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवण्टन की पालना करने पर स्वंत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। आवंटी रिकार्डेट खातेदार काबिज काश्तकार है खातेदारी लगने के बाद आवंटन निरस्त नहीं हो सकता। प्रार्थी चाहें तो अपने अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है,जबकि प्रार्थी पीडित पक्ष भी नहीं है, अति विलम्ब से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रथम स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने कथनों की पुष्टि मे सत्यप्रतिलिपि नकल जमाबन्दी सम्वत 2058 बहक बद्री दत्तक पुत्र भूरा नि0 दूनी खातेदार वादग्रस्त भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत 2062 वाके दूनी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 वाके दूनी बहक बद्रीलाल पुत्र भूरालाल ब्राहमण आदि प्रस्तुत किये गये। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.टी 2011 (1) पृष्ट सं0 383 आरआरडी–1996 पृष्ट 525, डीएनजे0 2016 (2) डीएनजे/राज 732 पेरा 9,10 1996 आरआरडी पेज 500, एआईआर–1994 एससी 1128, आरआरडी–2017 पेज 204 आरआरडी–1985 पेज 174, आराआरटी 2011(1) पेल 383 उद्वरित किये है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस को सुना एंव बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी संख्या–1 को भू–आवण्टन सलाहकार समिति देवली द्वारा दिनांक 23–8–1961 को आराजी ख0नं0 159 में 8 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 249 रकबा 2.06 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील देवली में आवंटन किया गया था। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि आवंटी उस समय सरकारी सेवा में पंचायत में सचिव के पद पर पदस्थापित था,तथा उसके द्वारा तथ्यों को छुपा कर तथा फर्जी तरीके से फर्जकारी करके भूमि का आवण्टन कराया है, किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

तहसील देवली में आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन छल–कपट करते हुऐ आवण्टन सलाहकार समिति से मिलकर फर्जकारी कर फर्जी तरीके से अपनी वल्दियत बदलकर करवाया है। प्रतिपक्षी सं0 1 अलाटमेंट दिनांक 23–8–1961 को राजकीय सेवा में ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर पदस्थापित था,उसने उक्त तथ्यों को छुपाते हुए अपने पिता का नाम दुर्गालाल के स्थान पर भूरालाल अंकित करते हुए स्वंय को बद्रीलाल पुत्र भूरालाल बताते हए उक्त भमि को अलाट करवाया है। बद्री पुत्र भूरालाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। बद्री पुत्र दुर्गालाल सरकारी कर्मचारी था तथा भूमिहीन काश्तकार भी नहीं था। उसके उपरान्त भी उसने गलत तरीके से उक्त भूमि को अपने नाम अलाट करवाया है, इस कारण उक्त अलाटमेंट खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी ने उक्त तथाकथित अलाटमेंट के उपरान्त नामान्तरकरण खुलवाने हेतु तहसीलदार देवली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, उक्त नामान्तरकरण के आवेदन को खारिज करते हुए नामान्तरकरण में सक्षम अधिकारी ने यह नोट डाला कि '''बद्रीलाल ने श्री मोहन पुत्र श्रवण सलावट को 3000/रूपये में जमीन बेच दी है जिसके बेचान की नकल सी0जे0एम कोर्ट में पेश हो चुकी है''' ओर उसका नामा0 दिनांक 25–11–1075 को खारिज कर दिया। उसके उपरान्त पुनः उक्त तथ्यों को छुपाते हुए दुबारा से मितिभगत कर स्वंय के नाम उक्त आराजियात को गैर खातेदारी में जरिए नामा0 लगवा लिया ओर उसी आधार पर उसके उक्त आराजियात को राजस्व कर्मचारियों से मिलकर स्वंय की खातेदारी में लगवा लिया। इस कारण उक्त अलाटमेंट एंव उसके आधार पर की गई पश्चातवर्ती कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अलाटमेंट की नकल की प्रति प्राप्त करने के लिए तहसील देवली व जिला कलेक्टर कार्यालय के रिकार्ड रूम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत किये किन्तु दोनों जगहों पर रिकार्ड नहीं मिलने से नकल प्राप्त नहीं हो सकी। प्रतिपक्षी संख्या–1 ने आवंटन नियमो की पालना नही की है। आवंटन के बाद प्रथम वर्ष मे आधी भूमि और द्वितीय वर्ष मे शेष भूमि में काश्त नही की है तथा उक्त आराजियात पर आवण्टी का कब्जा भी नहीं है। अलाटमेंट कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तथाकथित आवण्टन आदेश दिनांक 23–8–1061 निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें। आवेदक द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी सं0 2070–2073,ग्राम दूनी, दिनांक 20–1–2016, सत्यप्रतिलिपि नक्शा ट्रेस,खसरा नम्बर 249,3491,3879,3355, दिनांक 20–1–2016 सत्यप्रतिलिपि नकल आवेदन आवटन तह0 देवली,29–1–2016 सत्यप्रतिलिपि प्रा0पत्र खारिज,दिनांक 2–2–2016 सत्यप्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफलदिनांक 22–1–2016, सत्यप्रतिलिपि नामा0 14–10–787 दिनांक 9–2–1983, सत्यप्रतिलिपि नामा0 ख0नं0 1375, दिनांक 27–11–1975, सत्यप्रतिलिपि नामा0 843 दिनांक 27–11–75, सत्यप्रतिलिपि नामा0 977 दिनांक 14–10–77, सत्यप्रतिलिपि निर्णय एसडीओ0 देवली दिनांक 5–4–19 , सत्यप्रतिलिपि निर्णय दिनांक 3–5–19 ए0डी0एम0 सजरा 27–6–17 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 ने कथन किया कि आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन व्यक्ति था। जिसे भू–आंवटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से उदघोषणा जारी करने के उपरान्त ही नियमानुसार दिनांक 23–8–1961 को आराजी ख0नं0 159 में 8 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 249 रकबा 2.06 है0 वाके ग्राम दूनी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा

संख्या 1 आवंटन के समय राजकीय सेवा में था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के कारण ही आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात से भी साबित है कि बद्री भूरा का दत्तक पुत्र है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। वैसे भी आवण्टन 60 वर्ष से अधिक पुराना होने से केवल मात्र इंकारी के आधार पर आवण्टन कराना कह देने मात्र से खारिज नहीं किया जा सकता। अतः आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा विपक्षी सं01 के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर बद्री पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहमण निवासी घाड रोड दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक को दिनांक 23–8–1961 को ग्राम दूनी की आराजी खसरा नम्बर 159 में रकबा 8 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 249 रकबा 2.06 है0 भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अति. जिला कलेक्टर, टोंक

न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05 / 2016

प्रविष्टि दिनांक 22.02.2016

सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र प्रेमचन्द शर्मा जाति ब्राहमण आयु 35 वर्ष निवासी घाड़ रोड दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0

.....आवेदक

बनाम

1–बद्री पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहमण आयु 70 वर्ष निवासी घाड़ रोड दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0

2–भू–आवंटन सलाहकार समिति देवली तहसील देवली जिला–टोंक राज0

3–तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0

..... अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 बाबत निरस्त किये जाने आवंटन

संशोधित आदेश **दिनांक 19.09.2022**

अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 05 / 2016 उनवान सत्यप्रकाश बनाम बद्री में आवण्टन बद्री पुत्र भूरा के नाम से किया गया है तथा प्रतिपक्षी बद्री पुत्र दुर्गालाल न होकर बद्री पुत्र भूरा हैं। लेकिन निर्णय दिनांक 28.06.2022 के अन्तिम पैरा पर आदेश में बद्री पुत्र भूरा के स्थान पर बद्री पुत्र दुर्गालाल लिख दिया गया हैं जो टाइप मिस्टेक हैं। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर बद्री पुत्र दुर्गालाल के स्थान पर बद्री पुत्र भूरा करने की कृपा करें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी दोनों ही आवण्टन आदेश की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं। तहसीलदार देवली ने पत्र क्रमांक 970 दिनांक 16.04.2021 से अवगत कराया हैं कि कार्यालय के रिकॉर्ड में भी आवण्टन पत्रावली उपलब्ध नहीं हैं, अभिभाषक प्रार्थी सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र प्रेमचंद शर्मा निवासी घाड़ रोड, दूनी, तहसील दूनी द्वारा भी अपने आवेदन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज़स्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 में बद्री पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राह्मण के आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया हैं।

आवंटन पत्रावली प्राप्त नहीं होने से आवण्टन पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक 28.06.2022 में आंशिक संशोधन करना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रा.पत्र आंशिक स्वीकार कर तथाकथित बद्री जाति ब्राह्मण निवासी घाड़ रोड़ दूनी तह. दूनी जिला टोंक को किया गया आवण्टन दिनांक 23.08.1961 यथावत रखा जाता हैं।

(परशुराम धानका)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक